N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0207 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 20/09/2024 17:32 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** शनिवार **Date From (दिनांक से):** 13/07/2024 **Date To (दिनांक तक):** 13/07/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 11:55 बजे **Time To (समय तक):** 19:15 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 20/09/2024 **Time (समय):** 14:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 20/09/2024 17:32:40 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-EAST, 130 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** KANUTA, SUJANGARH,DISTRICT CHURU

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** GOVINDRAM

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** HARI RAM JAT

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 2005 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	KAREJDA, SUJANGARH, CHURU, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	KAREJDA, SUJANGARH, CHURU, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAJPAL SERDIYA		पिता:TIKURAM	1. GRAM POST KANUTA,SUJANGARH,SUJANGARH,CHURU,RAJASTHAN,INDI

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		500.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 500.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, निवेदन है कि श्रीमान् अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चौकी बीकानेर से दूरभाष पर संपर्क उपरांत ट्रैप कार्यवाही हेतु दिनांक 13.07.2024 को समय 11.55 ए.एम. पर परिवादी श्री गोविंदराम पुत्र हरीराम जाति जाट, उम्र 19 वर्ष निवासी गांव करेजड़ा, तहसील सुजानगढ, जिला चूरु भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चौकी बीकानेर पर मुझ पुलिस निरीक्षक के कक्ष में उपस्थित हुआ। मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा अति. पुलिस अधीक्षक महोदय से जरिये दूरभाष वार्ता की जाकर निर्देश प्राप्त किए गए। परिवादी ने एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मुझ पुलिस निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया तथा पढकर परिवादी को सुनाया गया। प्रार्थना पत्र का विवरण निम्न प्रकार से है- "सेवा में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चौकी बीकानेर विषय. मेरे दादाजी की जमीन का मेरे पिता, ताउ, चाचा व दादीजी के नाम विरासतन इंतकाल चढाने के लिए रिश्वत मांगने पर हमारे गांव के पटवारी श्री राजपाल चौधरी के खिलाफ ए.सी.बी. कार्यवाही करवाने बाबत। महोदय, नम्र निवेदन है कि मैं सुजानगढ कॉलेज में बी.ए. सैकिंड ईयर में पढता हूं। मेरे दादाजी श्री रामरख राम पुत्र चूनाराम का स्वर्गवास दिनांक 29.04.2024 को हो गया था। मेरे दादाजी के कुल चार वारिस मेरे पिताजी श्री हरीराम, मेरे ताउजी पप्पू सिंह, मेरे चाचाजी राजेंद्र, मेरी दादीजी बालीदेवी है। मेरे दादाजी के नाम गांव करेजड़ा, तहसील सुजानगढ, जिला चूरु में कुल लगभग 34 बीघा कृषि भूमि है। मैंने मेरे दादाजी श्री रामरख राम की इस कृषि भूमि का विरासतन इंतकाल उनके चारों वारिसों के नाम चढवाने के लिए हमारे गांव करजेड़ा के हलका पटवारी श्री राजपाल चौधरी को हमारी ग्राम पंचायत भाषीणा से मेरे दादाजी के 4 वारिसों का वारिसनामा, मेरे दादाजी का मृत्यु प्रमाण पत्र, चारों वारिसों के आधार कार्ड, एक स्टांप पेपर पर इंतकाल चढाने की एप्लिकेशन, जमीन की जमाबंदी के कागज दिनांक 03.06.2024 को पटवारी को उसके घर गांव कानूता, तहसील सुजानगढ में जाकर दिए थे। पटवारी ने हमारे इस विरासतन इंतकाल चढाने के काम के लिए मुझसे उस दिन 1500 रुपये रिश्वत की मांग की थी। मैंने पटवारी श्री राजपाल चौधरी को कहा कि मैं इंतकाल जाने पर रिश्वत दे दूंगा, परंतु आज दिनांक 13.07.2024 तक भी पटवारी ने हमारा काम नही किया है, मुझे लगता है कि पटवारी को मैंन रिश्वत नहीं दी थी इसलिए पटवारी हमारा उक्त का नहीं किया है। इस विरासतन इंतकाल चढवाने की जिम्मेदारी मेरे पिता, चाचा, ताउ व दादीजी ने मुझको दे रखी है। मैंने पटवारी द्वारा मांगी गई 1500 रुपये की जानकारी मेरे पिता, चाचा, ताउ व दादीजी को दी तो उन्होंने मुझे पटवारी को एंटी करप्शन ब्यूरो बीकानेर से ट्रैप करवाने के लिए कहा था। मैं व मेरे पिता, चाचा, ताउ व दादीजी पटवारी श्री राजपाल चौधरी को हमारे सही काम के लिए कोई रिश्वत नहीं देना चाहते हैं तथा पटवारी श्री राजपाल चौधरी के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो से कानूनी कार्यवाही करवाना चाहते हैं। दिनांक 13.07.2024 प्रार्थी एस.डी. गोविंदराम गोविंदराम पुत्र हरीराम निवासी गांव करेजड़ा, तहसील सुजानगढ, जिला चूरु मो.नं. [redacted]" परिवादी ने हस्तलिखित प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्यों पर सहमति प्रकट की तथा पूछने पर हस्तलिखित प्रार्थना पत्र स्वयं के हस्तलेख में होना व स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित होना बताया। परिवादी श्री गोविंदराम ने बताया कि मैं वर्तमान में बी.ए. द्वितीय वर्ष का छात्र हूं तथा सुजानगढ, जिला चूरु के कॉलेज में अध्ययनरत हूं। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के बारे में परिवादी ने बताया कि मैं पिछली बार दिनांक 03.06.2024 को पटवारी श्री राजपाल चौधरी से मिला था तब पटवारी ने मेरे स्वर्गीय दादाजी श्री रामरख राम की कृषि भूमि का विरासतन इंतकाल मेरे पिता, ताउ, चाचा व दादीजी के नाम चढाने के लिए 1500 रुपये रिश्वत की मांग मुझसे की थी। मैं हमारे जायज काम के लिए पटवारीजी को कोई रिश्वत नहीं देना चाहता हू तथा पटवारी को रिश्वत लेते हुए पकड़वाना चाहता हूं। मेरे परिवार के सदस्य मेरे पिता, चाचा, ताउ व दादीजी भी पटवारी को रिश्वत नहीं देना चाहते हैं तथा पटवारी को 1500 रुपये रिश्वत लेते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से ट्रैप करवाना चाहते हैं। इंतकाल चढवाने संबंधी सारी कार्यवाही मैं ही देख रहा हूं तथा अब तक इंतकाल संबंधी पटवारी मे समस्त बातचीत मैंने ही की है। मैं इतने दिन तक इंतजार कर रहा था कि शायद पटवारी श्री राजपाल चौधरी सारी औपचारिकता पूरी करके इंतकाल चढाने की कार्यवाही पूरी कर देंगे परंतु अब तक पटवारीजी द्वारा 1500 रुपये रिश्वत न मिलने के कारण इंतकाल चढाने की कार्यवाही नहीं की गई है। मैंने फिर इधर उधर से जानकारी प्राप्त करके पटवारी श्री राजपाल चौधरी के खिलाफ कार्यवाही करवाने के लिए ए. सी.बी. में संपर्क किया था। मेरी पटवारी श्री राजपाल चौधरी से कोई पुरानी शत्रुता नहीं है तथा मेरा या हमारे परिवार का पटवारी से कोई लेनदेन का हिसाब नहीं है। मुझ पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर परिवादी श्री गोविंदराम ने अपना आधार

कार्ड एक पृष्ठ, अपने दादाजी श्री रामरख राम के नाम जमीन खसरा सं. 520/156 व खसरा सं. 525/425 पटवार हलका भाषीणा, तहसील सुजानगढ, जिला चूरु का जमाबंदी दस्तावेज एक पृष्ठ, अपने दादाजी श्री रामरख राम का मृत्यु प्रमाण पत्र एक पृष्ठ प्रस्तुत किया जिसे अवलोकन पश्चात् शामिल कार्यवाही दस्तावेज किया गया। ट्रैप कार्यवाही की प्रगति के लिए परिवादी श्री गोविंदराम के पिता श्री हरीराम, ताउजी श्री पप्पू सिंह, चाचाजी श्री राजेंद्र, दादीजी श्रीमती बालीदेवी की ओर से परिवादी श्री गोविंदराम के पक्ष में पटवारी श्री राजपाल चौधरी को ट्रैप करवाने संबंधी अधिकार पत्र चाहे जाने पर परिवादी श्री गोविंदराम ने बताया कि मैं अभी ऐसा अधिकार पत्र साथ नहीं लाया हूं, परंतु ट्रैप कार्यवाही के दौरान ऐसा अधिकार पत्र मेरे पिता, ताउ, चाचा, दादीजी की ओर से आपको उपलब्ध करवा दूंगा। परिवादी ने बताया कि इंतकाल चढाने की पटवारी को दी गई एप्लिकेशन और वारिसनामा मैंने मूल ही पटवारी श्री राजपाल चौधरी को सुपुर्द कर दिए थे, इनकी फोटोकॉपी अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, प्रस्तुत दस्तावेज व पूछताछ से पटवारी श्री राजपाल चौधरी द्वारा परिवादी श्री गोविंदराम के पिता, ताउ, चाचा, दादीजी के पक्ष में इंतकाल चढाने की कार्यवाही करने के लिए 1500 रुपये रिश्वत मांगने संबंधी मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की परिधि में आना प्रथम दृष्टया पाया जाने पर रिश्वत मांग सत्यापन संबंधी अग्रतर कार्यवाही किया जाना तय किया गया। समय 12.50 पीएम पर मुझ पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री गोविंदराम को रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही की आवश्यकता एवं प्रक्रिया समझाई गई। परिवादी ने बताया कि "पटवारी श्री राजपाल चौधरी का खुद का गांव कानूता है जो कि हमारे गांव से लगभग 18 किलोमीटर है तथा पटवारी का ऑफिस सुजानगढ तहसील कार्यालय में है। पटवारी दिन के समय तहसील कार्यालय सुजानगढ में रहता है तथा शाम के समय लगभग 05.00 पीएम पर अपने गांव कानूता में ही मिलता है तथा उसके पटवार हलका भाषीणा के सभी लोग अधिकतर पटवारी के गांव कानूता में मिलकर ही अपने काम करवाने संबंधी दस्तावेज आदि देकर आते हैं। परिवादी ने बताया कि पटवारी मोबाइल कॉल के माध्यम से किसी से बात नहीं करता है इसलिए रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही भी पटवारी के गांव कानूता में मिलकर ही किया जाना उचित होगा। पटवारी श्री राजपाल चौधरी का मोबाइल नंबर [redacted] है।" समय 01.05 पीएम पर श्री हरीराम कानि. 210 को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने कक्ष में बुलाकर मौजूदा परिवादी से आपसी परिचय करवाकर परिवादी के प्रार्थना पत्र के तथ्यों से अवगत करवाया गया, परिवादी व आरोपी के मध्य वार्ता के दौरान की संभावनाओं की जानकारी प्रदान की गई। तत्पश्चा्त् श्री हरीराम कानि. को मालखाना से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर/डीवीआर मय मेमोरी कार्ड प्रस्तुत करने के निर्देश पर हरीराम कानि. ने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय नया सील्ड मेमोरी कार्ड मालखाना से प्राप्त कर प्रस्तुत किया। परिवादी श्री गोविंदराम व श्री हरीराम कानि. को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु इसे चालू व बंद करने की प्रक्रिया से समझाया गया। समय 01.20 पीएम पर श्री हरीराम कानि. को रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही हेतु डीवीआर मय पृथक् से एक नया सील्ड मेमोरी कार्ड जरिये फर्द दिया जाकर निर्देशित किया गया कि आप परिवादी के साथ परिवादी के बताए अनुसार पटवारी के मिलने के संभावित स्थान कानूता आदि पर पहुंचकर गोपनीयता रखते हुए सील्ड मेमोरी कार्ड खोलकर डीवीआर में स्थापित कर आरोपी के द्वारा की जा रही रिश्वत मांग की सत्यापन कार्यवाही करवाएं। समय 01.30 पीएम पर श्री हरीराम कानि. को मय डीवीआर व एक नया सील्ड मेमोरी कार्ड, उचित निर्देश प्रदान कर परिवादी श्री गोविंदराम के साथ ब्यूरो चौकी से पटवारी के गांव कानूता व अन्य संभावित स्थानों के लिए रवाना किया गया। समय 05.26 पीएम पर श्री हरीराम कानि. के मो.नं. [redacted] व मुझ पुलिस निरीक्षक के मोबाइल नंबर [redacted] के मध्य मोबाइल फोन वार्ता संपन्न हुई। श्री हरीराम कानि. ने बताया कि "मैं व परिवादी श्री गोविंदराम ब्यूरो चौकी से निजी साधन से रवाना होकर आरोपी पटवारी के गांव कानूता पहुंचे थे। मैंने गोपनीयता रखते हुए नए सील्ड मेमोरी कार्ड को खोलकर डिजिटल वॉयस रिकॉर्ड र/डी.वी.आर. में स्थापित किया था तथा डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय स्थापित मेमोरी कार्ड की रिकॉर्डिंग प्रारंभ की जाकर परिवादी को सुपुर्द कर पटवारी के घर के लिए रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही हेतु रवाना कर दिया था। परिवादी अभी पटवारी के घर जाकर वापस आया है जिससे मैंने डीवीआर मय स्थापित मेमोरी कार्ड प्राप्त कर बंद कर लिया है, परिवादी ने पूछने पर बताया है कि पटवारी अभी घर पर नहीं आया है, पटवारी के परिवार के सदस्यों को पटवारी के बारे में कोई जानकारी नहीं होना बताया है।" श्री हरीराम कानि. ने परिवादी से प्राप्त जानकारी के आधार पर बताया कि "पटवारी लगभग 07.00 पी.एम. पर अपनी डस्टर गाड़ी से प्रायः आता है, इसलिए समय 07.00 पी.एम. पर पुनः रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही हेतु प्रयास किया जाना उचित होगा।" इस पर मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री हरीराम कानि. को परिवादी से प्राप्त जानकारी के अनुसार समय 07.00 पी.एम. पर पुनः रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही करवाने के निर्देश प्रदान किए गए। समय 07.10 पीएम पर श्री हरीराम कानि. के मो.नं. [redacted] व मुझ पुलिस निरीक्षक के मोबाइल नंबर [redacted] के मध्य मोबाइल फोन वार्ता संपन्न हुई। श्री हरीराम कानि. ने मुझ पुलिस निरीक्षक को अवगत करवाया कि "अब परिवादी श्री गोविंदराम के बताए अनुसार उसको रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही हेतु भेजना उचित होगा ।" इस पर मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री गोविंदराम को पुनः डीवीआर मय स्थापित मेमोरी कार्ड की रिकॉर्डिंग प्रारंभ करके परिवादी को सुपुर्द कर पटवारी के घर के लिए रवाना करने के निर्देश प्रदान किए गए। समय 08.09 पीएम पर श्री हरीराम कानि. के मो.नं. [redacted] व मुझ पुलिस निरीक्षक के मोबाइल नंबर [redacted] के मध्य मोबाइल

फोन वार्ता संपन्न हुई। श्री हरीराम कानि. ने मुझ पुलिस निरीक्षक को अवगत करवाया कि "मैंने गोपनीयता रखते हुए डी.वी. आर. मय स्थापित मेमोरी कार्ड की रिकॉर्डिंग प्रारंभ की जाकर परिवादी को सुपुर्द कर पटवारी के घर के लिए पुनः रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही हेतु रवाना कर दिया था। परिवादी अभी पटवारी के घर जाकर वापस आया है जिससे मैंने गोपनीय स्थान पर डीवीआर मय स्थापित मेमोरी कार्ड प्राप्त कर बंद कर लिया है, परिवादी ने पूछने पर बताया है कि पटवारी मेरे पहुंचने के समय पर कुछ व्यक्तियो के साथ घर पर आया था तथा वह कही जाने की जल्दी में लग रहा था, पटवारी ने मुझसे रिश्वत संबंधी कुछ वार्ता की है।" इस पर श्री हरीराम कानि. से मोबाइल कॉल वार्ता की निरंतरता में परिवादी श्री गोविंदराम से मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही के तथ्यों के बारे में पूछा गया तो परिवादी ने बताया कि "रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही के दौरान पटवारी कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ व्यस्त था, बीच में पटवारीजी श्री राजपाल चौधरी ने मुझसे मेरे काम के बारे में बात की.थी तथा पटवारीजी ने फीस शब्द का उपयोग करते हुए रिश्वत लाने के बारे में मुझसे पूछा था तो मैंने पटवारीजी को बताया कि मैं अभी तो केवल 500 रुपये ही लाया हूं तो पटवारीजी ने मुझसे 500 रुपये मांग कर प्राप्त कर लिए, मैंने पटवारी जी से बाकी 1000 रुपये देने के बारे में पूछा तो उन्होंने बाकी रुपये का हिसाब फिर भविष्य में दुबारा कोई काम पड़ने पर कर लेने की बात कहते हुए, अब इस महीने की 20 तारीख तक इंतकाल चढाने का काम कर देने का पूर्ण आश्वासन दिया है।" परिवादी श्री गोविंदराम ने मुझ पुलिस निरीक्षक को बताया कि "आज संपन्न रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के अनुसार पटवारी इस मामले में आज मुझसे प्राप्त की गई 500 रुपये रिश्वत के अलावा अब आगे कोई रिश्वत नहीं लेगा तथा भविष्य में हमारे परिवार का कोई दुबारा काम पड़ने पर वह बचे हुए रिश्वत राशि की बात कर सकता है।" परिवादी के बताए अनुसार "पटवारी से पूछने पर पटवारी ने शेष रिश्वत राशि 1000 रुपये लेने से मना कर दिया है तथा भविष्य के संभावित कामों के दौरान शेष रिश्वत राशि का हिसाब करने की बात कही है।" परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन संबंधी रिकॉर्ड वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने के कार्यवाही के बारे में बताया तो परिवादी ने बताया कि "आज मैं काफी लेट हो चुका हूं, मुझे मेरे गांव में आवश्यक कार्य भी है, इसलिए मैं एक-दो दिन में ए.सी.बी चौकी बीकानेर पर ट्रांसक्रिप्ट कार्यवाही हेतु उपस्थित हो जाउंगा।" इस पर श्री हरीराम कानि. को परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही से मुक्त करने के निर्देश प्रदान किए तथा रवाना होकर ब्यूरो चौकी पहुंचने के निर्देश दिए गए। श्री हरीराम कानि. ने मुझ पुलिस निरीक्षक को बताया कि "उक्त गांव से इस समय रात्रि में बीकानेर पहुंचना असुविधाजनक है। अतः मैं सुविधानुसार गोपनीय स्थान पर रात्रि विश्राम करके कल दिनांक 14.07.2024 को ब्यूरो कार्यालय में पहुंच जाउंगा। " श्री हरीराम कानि. को डीवीआर मय स्थापित मेमोरी कार्ड की सुरक्षित अभिरक्षा संबंधी उचित निर्देश प्रदान किए गए। दिनांक 14.07.2024 को समय 12.05 पीएम पर श्री हरीराम कानि. ब्यूरो चौकी पर उपस्थित हुआ। श्री हरीराम कानि. से कार्यवाही में प्रयुक्त डी.वी.आर. मय स्थापित मेमोरी कार्ड मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा प्राप्त किया। श्री हरीराम कानि. ने रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही के समस्त तथ्यों को दोहराया। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय स्थापित मेमोरी कार्ड को कार्यालय लैपटॉप पर चैक करने पर परिवादी श्री गोविंदराम व श्री हरीराम कानि. के बताए अनुसार तथ्यात्मक वार्ता की रिकॉर्डिंग होनी पाई गई जिसका विवरण निम्नानुसार होना पाया गया- S. N. FILE NAME DATE AND TIME OF CREATION dd-mm-yyyy hh.mm (24 Hrs) HASH VALUE (SHA-1) 1 240713_1700 13-07-2024 17.00 fbfa60253c31e63e3f3763bb8c8703b64d6b9025 2 240713_1915 13-07-2024 19.15 db5d19188189552005d535d64731f67791dfe6ec डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय स्थापित मेमोरी कार्ड को लैपटॉप से निकालकर मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं के पास आलमारी में सुरक्षित रखा गया। श्री हरीराम कानि. को कक्ष से प्रस्थान की अनुमति प्रदान की गई। समय 02.37 पीएम पर मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं के मोबाइल नंबर [redacted] से परिवादी श्री गोविंदराम के मोबाइल नंबर [redacted] पर वार्ता की गई। परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन संबंधी रिकॉर्ड वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्ट कार्यवाही हेतु दिनांक 15.07.2024 को ए.सी.बी. चौकी बीकानेर पर उपस्थित होने के निर्देश प्रदान किए गए। जिस पर परिवादी ने दिनांक 15.07.2024 को समय लगभग 11.00 ए.एम. तक ए.सी.बी. चौकी बीकानेर पर उपस्थित हो जाने का आश्वासन दिया। दिनांक 15.07.2024 को समय 10.27 ए.एम. पर परिवादी श्री गोविंदराम ट्रांसक्रिप्ट कार्यवाही हेतु मुझ पुलिस निरीक्षक के कक्ष में उपस्थित हुआ। ट्रांसक्रिप्ट कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहों की तलबी हेतु इस कार्यालय से श्रीमान् आयुक्त, सिंचित क्षेत्र विकास, बीकानेर को पत्र क्रमांक 4134 दिनांक 15.07.2024 जारी किया जाकर श्री रतन सिंह कानि. 151 को रवाना किया गया। परिवादी श्री गोविंदराम को ब्यूरो कार्यालय में ही उपस्थित रहने के निर्देश प्रदान किए गए। समय 12.05 पी.एम. पर श्री रतन सिंह कानि. 151 स्वतंत्र गवाह श्री विपिन व्यास, अति. प्राशासनिक अधिकारी मो.नं. [redacted] तथा श्री रघुवीर सिंह वरिष्ठ सहायक, मो.नं. [redacted] कीग्गोपनीय राजकार्य हेतु नियुक्ति संबंधी कार्यालय आयुक्त, सिंचित क्षेत्र विकास, बीकानेर का पत्र क्रमांक 1537 दिनांक 15.07.2024 लेकर उपस्थित उपस्थित हुआ। श्री रतन सिंह कानि. ने स्वतंत्र गवाह शीघ्र ही ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित हो जाने का अवगत करवाया। समय 02.15 पी.एम. पर कार्यालय वित्तीय सलाहकार, सिंचित क्षेत्र विकास, बीकानेर से अधिकारी/कर्मचारीगण श्री विपिन व्यास, अति. प्राशासनिक अधिकारी तथा श्री रघुवीर सिंह वरिष्ठ सहायक ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित हुए हैं। उपस्थित दोनों अधिकारी/कर्मचारीगण को गोपनीय ट्रैप कार्यवाही संबंधी कार्यवाही के

बारे में जानकारी दी जाकर स्वतंत्र गवाह के रुप मे रहने का पूछा जाने पर दोनों स्वतंत्र गवाहों ने गोपनीय ट्रैप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह के रुप में कार्य करने हेतु मुझ पुलिस निरीक्षक को सहमति प्रदान की। समय 02.20 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाह श्री विपिन व्यास, अति. प्राशासनिक अधिकारी तथा श्री रघुवीर सिंह वरिष्ठ सहायक का ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री गोंविदराम तथा श्री हरीराम कानि. से आपसी परिचय करवाया गया। दोनों स्वतंत्र गवाहों को परिवादी द्वारा ब्यूरो कार्यालय में पटवारी श्री राजपाल चौधरी के विरुद्ध कार्यवाही हेतु दिए गए प्रार्थना पत्र का अवलोकन करवाया गया। दोनों स्वतंत्र गवाहों को दिनांक 13.07.2024 से अब तक की ट्रैप कार्यवाही संबंधी समस्त तथ्यों के बारे में अवगत करवाया जाकर रिश्वत मांग सत्यापन की रिकॉर्ड वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने की कार्यवाही की जानकारी प्रदान की गई। परिवादी श्री गोविंदराम ने मुझ पुलिस निरीक्षक को कार्यवाही पूर्ण होने तक हर स्तर की कार्यवाही की गोपनीयता बनाए रखने हेतु कहा गया तथा भविष्य में जमीन संबंधी अन्य कार्यों में भी पटवारी से काम पड़ते रहने की बात कही। परिवादी को कार्यवाही की पूर्ण गोपनीयता के संबंध में आश्वस्त किया गया। समय 02.35 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाह श्री विपिन व्यास, अति. प्राशासनिक अधिकारी, श्री रघुवीर सिंह वरिष्ठ सहायक तथा परिवादी श्री गोविंदराम व श्री हरीराम कानि. के समक्ष मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा अपने कक्ष की आलमारी से कार्यवाही में प्रयुक्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय स्थापित मेमोरी कार्ड को निकाला जाकर कार्यालय लैपटॉप में कनैक्ट किया जाकर दिनांक 13.07.2024 की परिवादी श्री गोविंदराम व आरोपी पटवारी श्री राजपाल चौधरी के मध्य संपन्न रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओं की दो रिकॉर्डिंग सुनवाई जाकर श्री हरीराम कानि. की सहायता तथा परिवादी गोविंदराम से आवाज पहचान करवाई जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जानी प्रारंभ की गई। समय 07.00 पी.एम. तक मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन संबंधी रिकार्ड दो वार्ताओं दिनांक 13.07.2024 को स्वतंत्र गवाहों को सुनवाई जाकर, परिवादी श्री गोविंदराम से आवाज पहचान करवाई जाकर, श्री हरीराम कानि. की सहायता से सुन-सुनकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। रिकॉर्ड दोनों वार्ताओं की फाईल को दो पैन ड्राइव में कॉपी कर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा साक्ष्य स्वरुप दो पैन ड्राईव तैयार किये गये। एक पैन ड्राईव को एक प्लास्टिक सेफ्टी कवर में डालकर एक कपड़े की थैली में रखकर सील मोहर किया गया। दूसरे पैन ड्राईव को एक कपड़े के टैग के साथ सील किया जाकर अन्वेषण प्रायोजनार्थ खुला रखा गया। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को लैपटॉप से अलग किया जाकर स्थापित मैमोरी कार्ड को बाहर निकालकर मूल मेमोरी कार्ड को प्लास्टिक सेफ्टी कवर मे डालकर एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर सील किया गया। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को अग्रतर कार्यवाही हेतु स्वयं के पास आलमारी में सुरक्षित रखा गया। पीतल सील सं. 76 को सुरक्षित अपने पास रखा गया। उपर्युक्त साक्ष्य प्रादर्श संख्या कुल 3 मालखाना प्रभारी श्री राजेंद्र हैड कानि. को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाए गए। समय 07.10 पी.एम. पर परिवादी ने उपस्थित साक्षिगण के समक्ष बताया कि "पटवारी दिनांक 13.07.2024 की रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओं के दौरान मुझसे 500 रुपये रिश्वत प्राप्त कर चुका है तथा पटवारी द्वारा अब हमारे इस इंतकाल के काम के लिए मुझसे कोई रिश्वत प्राप्त करने की संभावना नहीं है, फिर भी हमारा इंतकाल का काम दिनांक 21.07.2024 को ऑनलाईन चढने तक पटवारी की ओर से रिश्वत मांग लेने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः तब तक पटवारी की ओर से संपर्क करने का इंतजार किया जाना उचित होगा।" परिवादी को उसके पिता, ताउ, चाचा व दादीजी की ओर से आरोपी पटवारी श्री राजपाल चौधरी के विरुद्ध ए.सी.बी. कार्यवाही के संबंध में अधिकार पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किए गए तो परिवादी ने बताया कि "मैं एक-दो दिन में मेरे उपर्युक्त परिजनों के अधिकार पत्र प्रस्तुत कर दूंगा या आपकी चौकी के ए.सी.बी. कर्मचारी के हमारे गांव आ जाने पर मैं अधिकार पत्र उपलब्ध करवा दूंगा।" समय 07.20 पी.एम. पर परिवादी श्री गोविंदराम व उपस्थित स्वतंत्र साक्षिगण श्री विपिन व्यास-अति. प्राशासनिक अधिकारी व श्री रघुवीर सिंह-वरिष्ठ सहायक को उपर्युक्त ए.सी.बी. ट्रैप संबंधी कार्यवाही की गोपनीयता संबंधी उचित निर्देश प्रदान किए गए। स्वतंत्र साक्षिगण को निर्देश दिए गए कि भविष्य में उक्त कार्यवाही संबंधी प्रक्रिया प्रारंभ होने की संभावना है इस पर सूचित किए जाने पर अविलंब ए.सी.बी. चौकी बीकानेर पर अपनी उपस्थिति प्रदान करें। परिवादी को भी भविष्य में ट्रैप कार्यवाही की संभावना को देखते हुए सतर्क रहने तथा आरेापी की ओर से किसी प्रकार से कोई संपर्क किए जाने पर अविलंब मुझ पुलिस निरीक्षक को सूचित किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए व समय-समय पर मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों की पालना के निर्देश दिए गए। समय 07.30 पी.एम. पर परिवादी व उपस्थित स्वतंत्र साक्षिगण को ब्यूरो कार्यालय से प्रस्थान की अनुमति प्रदान की गई। दिनांक 16.07.2024 को 10.13 ए.एम. से समय 10.55 ए.एम. तक परिवादी श्री गोविंदराम से मोबाइल कॉल वार्ता होती रही। परिवादी श्री गोविंदराम द्वारा अपने मोबाइल नंबर [redacted] से मुझ पुलिस निरीक्षक के मोबाइल नंबर [redacted] पर मोबाइल कॉल वार्ता में अवगत करवाया कि "मैंने कल रात्रि को बीकानेर में ही मेरे परिचित के पास रात्रि विश्राम किया था तथा आज सुबह बीकानेर से बस से रवाना होकर अपने गांव करेजड़ा जा रहा हूं तथा अभी भी बस में हूं, आरोपी पटवारी श्री राजपाल चौधरी ने कुछ देर पूर्व मुझसे मेरे मोबाइल पर आए हुए एक मैसेज से ओ.टी.पी. मांगा है जो कि इंतकाल की कार्यवाही से संबंधित हो सकता है, पटवारी श्री राजपाल चौधरी ने मुझे आज शाम को अपने घर गांव कानूता आने के लिए कहकर कॉल को काट दिया। परिवादी ने बताया कि पटवारी ने मुझे गांव बुलाने के कारण के बारे में कॉल पर अवगत नहीं करवाया है परंतु मुझे ऐसा लग रहा है कि वह मुझे अपने गांव बुलाकर रिश्वत की मांग करेगा, अन्य कोई इंतकाल संबंधी औपचारिकता

अब शेष नहीं लग रही है। परिवादी ने बताया कि अभी मैं बस में हूं तथा लगभग 01.00 पी.एम. पर अपने गांव पहुंचकर ही इस मामले की परिस्थितियों पर विचार विमर्श करुंगा।" परिवादी को निर्देशित किया गया कि आपके मोबाइल नंबर आए हुए ओ.टी.पी. को सुरक्षित रखें। अति. पुलिस अधीक्षक महोदय को उपर्युक्त तथ्यों से अवगत करवाया विस्तृत विचार विमर्श कर अग्रतर कार्यवाही के संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। दिनांक 13.07.2024 की रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता में आरोपी पटवारी द्वारा परिवादी से 1000 रुपये रिश्वत के तौर पर मांगते हुए परिवादी के पास उस समय उपलब्ध 500 रुपये रिश्वत के तौर पर अभिप्राप्त करने पाए गए। इसके अलावा आगे उक्त वार्ता में परिवादी के द्वारा पटवारी से यह पूछने पर कि "और कता देणा है बताओ थे" का उत्तर पटवारी ने "कीं कोनी देणा तू जा हूं चाढ देउं" कहकर परिवादी को जाने का कहते हुए इसके बाद रिश्वत प्राप्त करने से मना किया गया। तत्पश्चात् वार्ता में पटवारी ने इस काम के लिए परिवादी से पहले की मांगी गई रिश्वत संबंधी बात को "जना दो हजार गो कियो तनें" कहकर याद दिलाया गया, फिर स्वतः ही पटवारी द्वारा निरंतरता में वार्ता करते हुए "आगे कणा ही काम करां जना देखां, एकर तो पाछा फोड़ा कोनी घालस्यूं, मैं चाढ देस्यूं बीस तारीख ने" कहकर परिवादी को दुबारा तकलीफ नहीं डालने की बात कही गई। संपूर्ण वार्ता तथा परिवादी द्वारा बताए अनुसार आरोपी पटवारी द्वारा परिवादी से उसके इंतकाल संबंधी कार्य को दिनांक 20.07.2024 तक कर देने तथा परिवादी से पुनः रिश्वत नहीं लेने की बात प्रकट होनी पाई गई। परिवादी के पास आरोपी पटवारी द्वारा किए गए कॉल संबंधी तथ्यों के सत्यापन, रिश्वत राशि संबंधी स्पष्टता तथा परिवादी के लंबित कार्य की स्थिति हेतु अति. पुलिस अधीक्षक से प्राप्त निर्देशानुसार श्री हरीराम कानि. को पुनः डी.वी.आर. मय नया सील्ड मेमोरी कार्ड दिया जाकर सत्यापन कार्यवाही हेतु ब्यूरो कार्यालय से रवाना करना तय किया गया। समय 01.00 पी.एम. पर मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री हरीराम कानि. को अपने कक्ष में बुलवाया गया तथा परिवादी के पास पटवारी द्वारा आज किए गए फोन कॉल के विवरण के बारे में अवगत करवाया गया तथा परिवादी के बताए अनुसार पटवारी द्वारा रिश्वत मांग संभावना के तथ्यों के सत्यापन करवाए जाने के निर्देश प्रदान किए गए। मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा अपनी कार्यालय आलमारी से डी.वी.आर. निकालकर, मालखाना से एक नया सील्ड मेमोरी कार्ड मंगवाया जाकर श्री हरीराम कानि. को डीवीआर व एक नया सील्ड मेमोरी कार्ड जरिये फर्द सुपुर्द किया गया। समय 01.30 पी.एम. पर श्री हरीराम कानि. को उचित निर्देश प्रदान कर ब्यूरो चौकी से परिवादी के गांव करेजड़ा व पटवारी के गांव कानूता व अन्य संभावित स्थानों के लिए रवाना किया गया। श्री हरीराम कानि. को कार्यवाही संबंधी अधिकार पत्र परिवादी श्री गोविंदराम व परिजनों से प्राप्त कर लाने के निर्देश प्रदान किए गए। श्री हरीराम कानि. को ब्यूरो चौकी से रवाना करने के उपरांत निरंतर मोबाइल कॉल द्वारा संपर्क स्थापित रखा गया। श्री हरीराम कानि. ने वार्ताओं में बताया कि मैं परिवादी से संपर्क रखते हुए ए.सी.बी. चौकी बीकानेर से रवाना होकर प्राइवेट बस तथा परिवादी श्री गोविंदराम के साथ उसके निजी साधन की सहायता से परिवादी श्री गोविंदराम के गांव करेजड़ा स्थित उनकी ढाणी पर पहुंचा जहां पर परिवादी के पिता, ताउ व दादीजी घर पर उपस्थित मिले, परिवादी के एक चाचा श्री राजेंद्र मील वर्तमान में सूरत (गुजरात) काम करते हैं। इसलिए वह घर पर नहीं मिले। परिवादी के दादाजी श्री रामरखाराम उर्फ रामरख राम के वारिसगण परिवादी की दादी श्रीमती बालीदेवी, ताउ श्री पप्पू सिंह, पिता श्री हरीराम उपस्थित मिले जिन्हें पटवारी श्री राजपाल चौधरी के विरुद्ध जारी ट्रैप कार्यवाही के संबंध में जानकारी प्रदान की गई तो बताया कि "हम स्व. श्री रामरख राम के चारों वारिसगण पटवारी श्री राजपाल चौधरी द्वारा हमारे इंतकाल चढाने संबंधी जायज काम के लिए रिश्वत मांगने के कारण उसके विरुद्ध ए.सी.बी. से ट्रैप कार्यवाही करवाने के लिए सहमत थे तथा हमारे द्वारा आपसी सहमति से ही हमारे परिवार के सदस्य श्री गोविंदराम पुत्र हरीराम उम्र 19 वर्ष निवासी करेजड़ा, तहसील सुजानगढ, जिला चूरु को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चौकी बीकानेर से ट्रैप कार्यवाही करवाने के लिए अधिकृत करके भेजा गया था क्यूंकि स्व. श्री रामरखा राम उर्फ रामरख राम के इंतकाल संबंधी सारी कार्यवाही श्री गोविंदराम द्वारा ही की जा रही है।" समय 07.10 पी.एम. पर श्री हरीराम कानि. ने मुझ पुलिस निरीक्षक को मोबाइल कॉल से संपर्क कर बताया कि "गांव करेजड़ा में उपस्थित मिले उक्त तीनों व्यक्तियों परिवादी की दादी श्रीमती बालीदेवी, ताउ श्री पप्पू सिंह, पिता श्री हरीराम के द्वारा ट्रैप कार्यवाही विरुद्ध पटवारी श्री राजपाल चौधरी हेतु श्री गोविंदराम हेतु जारी किया गया मूल अधिकार पत्र मय प्रमाणित पहचान पत्र प्राप्त किए गए, तत्पश्चात् परिवादी की ढाणी से उसके निजी साधन से रवाना होकर मैं आरोपी पटवारी के गांव कानूता गोपनीय स्थान पर पहुंचा हूं तथा पटवारी द्वारा आज परिवादी को बुलाए जाने के प्रायोजन, रिश्वत राशि की स्पष्टता आदि तथ्यों की सत्यापन कार्यवाही हेतु रवाना किया जाना है।" श्री हरीराम कानि. से वार्ता की निरंतरता में मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से वार्ता की जाकर परिवादी व श्री हरीराम कानि. को सत्यापन कार्यवाही संबंधी उचित निर्देश प्रदान किए गए। समय 07.36 पी.एम. पर श्री हरीराम कानि. ने मुझ पुलिस निरीक्षक को मोबाइल कॉल से संपर्क किया जाकर अवगत करवाया कि "मेरे द्वारा डी.वी.आर. में नया सील्ड मेमोरी कार्ड खोलकर स्थापित किया गया था व परिवादी श्री गोविंदराम को डी.वी.आर. मय स्थापित मेमोरी कार्ड की रिकॉर्डिंग चालू करके परिवादी को सुपुर्द कर आरोपी पटवारी श्री राजपाल चौधरी के निवास स्थान के लिए सत्यापन कार्यवाही हेतु रवाना कर दिया था, परिवादी श्री गोविंदराम अभी-अभी वापस मेरे पास गोपनीय स्थान पर लौट आया है जिससे मैंने डी.वी.आर. मय स्थापित मेमोरी कार्ड को प्राप्त कर चालू रिकॉर्डिंग को बंद कर अपने पास सुरक्षित रख लिया है।" श्री हरीराम कानि. ने मुझ पुलिस निरीक्षक से परिवादी की वार्ता करवाई तो

परिवादी ने बताया कि "श्री हरीराम के उपर्युक्त बताए अनुसार डी.वी.आर मय स्थापित मेमोरी कार्ड प्राप्त करके रवाना होकर पटवारी के निवास स्थान पर पहुंचा तो पटवारीजी घर पर ही मिले थे, पटवारीजी से संपन्न वार्ता में मैंने उनसे मुझको अपने पास बुलाए जाने का कारण जानना चाहा तो पटवारीजी ने मेरा काम 20 तारीख तक हो जाने का आश्वासन पुनः दिया व उन्होंने मुझसे बची हुई रिश्वत मांगते हुए "पेमेंट" देने की बात कही, पटवारीजी ने दिनांक 13.07.2024 को मुझसे इंतकाल के काम के लिए प्राप्त की हुई 500 रुपये रिश्वत की भी चर्चा की थी। पटवारी द्वारा मुझसे आज पुनः रिश्वत मांगी गई परंतु राशि का खुलासा नहीं किया गया, मेरे द्वारा पटवारीजी को अभी रिश्वत पास में नहीं होने की बात कही गई तथा बात को घुमाया गया। इस पर पटवारीजी ने मुझ पर हंसते हुए मुझे जाने का कह दिया और भविष्य में कभी करेजड़ा गांव आने पर हिसाब कर लेने की बात कही, इस पर मैं वहां से रवाना होकर श्री हरीराम कानि. के पास गोपनीय स्थान पर आ गया था।" मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से पटवारी द्वारा भविष्य में संपर्क करने संबंधी संभावना पर विचार विमर्श किया गया तो परिवादी ने बताया कि "अब निकट भविष्य में पटवारी द्वारा संपर्क किए जाने संभावना प्रतीत नहीं होती है परंतु फिर भी इस माह की 20-21 तारीख तक इंतकाल चढ जाने की कार्यवाही तक पटवारी की ओर से संपर्क किए जाने का इंतजार करना उचित होगा।" परिवादी व श्री हरीराम कानि. को ट्रांसक्रिप्ट संबंधी कार्यवाही हेतु बीकानेर उपस्थित होने के निर्देश दिए जाने पर परिवादी ने बताया कि बीकानेर काफी दूर पड़ता है तथा अभी खेती बाड़ी का समय है मुझे 2-4 दिन घर पर रहना आवश्यक है, मैं शीघ्र ही ए.सी.बी चौकी पर ट्रांसक्रिप्ट कार्यवाही हेतु उपस्थित हो जाउंगा। श्री हरीराम कानि. ने बताया कि "अभी काफी समय हो गया है तथा इस समय बीकानेर पहुंचने का कोई सुगम साधन नहीं है मैं सुविधाजनक स्थान पर रात्रि विश्राम करके कल दिनांक 17.07.2024 को ब्यूरो चौकी बीकानेर उपस्थित हो जाउंगा।" श्री हरीराम कानि. को डी.वी.आर. मय स्थापित मेमोरी कार्ड की सुरक्षित अभिरक्षा संबंधी उचित निर्देश प्रदान किए गए। दिनांक 17.07.2024 को समय 12.05 पी.एम. पर श्री हरीराम कानि. ब्यूरो चौकी पर उपस्थित हुआ। श्री हरीराम कानि. से कार्यवाही में प्रयुक्त डी.वी.आर. मय स्थापित मेमोरी कार्ड मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा प्राप्त किया। श्री हरीराम कानि. ने रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही के समस्त तथ्यों को दोहराया व परिवादी श्री गोविंदराम व उसके परिजनों से प्राप्त कर लाया हुआ मूल अधिकार पत्र मुझ पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया जिसे अवलोकन किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय स्थापित मेमोरी कार्ड को कार्यालय लैपटॉप पर चैक करने पर परिवादी श्री गोविंदराम व श्री हरीराम कानि. के बताए अनुसार तथ्यात्मक वार्ता की रिकॉर्डिंग होनी पाई गई जिसका विवरण निम्नानुसार होना पाया गया- S. N. FILE NAME DATE AND TIME OF CREATION dd-mm-yyyy hh.mm (24 Hrs) HASH VALUE (SHA-1) 1 240716_1918 16-07-2024 19.18 9bd916a41d9ae2b98114eff72f368228c7d76a9c डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय स्थापित मेमोरी कार्ड को लैपटॉप से निकालकर मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं के पास आलमारी में सुरक्षित रखा गया। श्री हरीराम कानि. को कक्ष से प्रस्थान की अनुमति प्रदान की गई। दिनांक 18.07.2024 को समय 02.59 पी. एम. पर परिवादी श्री गोविंदराम द्वारा मोबाइल कॉल द्वारा मुझ पुलिस निरीक्षक को सूचित किया गया कि परिवादी के दादाजी की खातेदारी भूमि की इंतकाल/नामांतरकरण संबंधी कार्यवाही आज ऑनलाईन जमाबंदी विवरण में प्रदर्शित हो रही है। इस पर मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा वेबसाईट https//apnakhata.rajasthan.gov.in/ पर विवरण चैक किया जाने पर परिवादी द्वारा प्रदत्त सूचना अनुसार काश्तकार श्री रामरख राम पुत्र चूनाराम जाट निवासी करेजड़ा खातेदार के नया जमाबंदी खाता सं. 183 का विवरण "नामांतरकरण संख्या 1316 दिनांक 18.07.2024 विरासत रामरख पुत्र चूनाराम के स्थान पर पप्पू सिंह पुत्र रामरख, बालीदेवी पत्नी रामरख, राजेंद्र पुत्र रामरख, हीरिराम पुत्र रामरख का नामांतरकरण प्रक्रियाधीन है।" होना पाया गया है। उक्त विवरण की पी.डी.एफ. वेबसाईट से डाउनलोड कर प्रिंट लिया जाकर समय 05.00 पी.एम. पर शामिल कार्यवाही दस्तावेज की गई। दिनांक 21.07.2024 को समय 07.48 पी.एम. तक परिवादी श्री गोंविदराम से जरिये मोबाइल कॉल वार्ता होती रही। परिवादी ने वार्ता के दौरान बताया कि "मेरे दादाजी की खातेदारी भूमि का विरासतन इंतकाल/नामांतरकरण का कार्य आज दिनांक 21.07.2024 हो गया है तथा इंतकाल पप्पू सिंह पुत्र रामरख, बाली देवी पत्नी रामरख, राजेंद्र पुत्र रामरख, हीरिराम पुत्र रामरख के नाम चढ चुका है।" परिवादी ने बताया कि "इस संबंध में आज सुबह मेरे पास मोबाइल पर इंतकाल चढने संबंधी सरकारी मैसेज भी आया था।" परिवादी ने बताया कि "मैंने इंतकाल चढने के संबंध में ऑनलाईन भी चैक किया था जो कि इंतकाल ऑनलाईन भी प्रदर्शित हो रहा है।" पटवारी द्वारा रिश्वत प्राप्त करने की संभावना के संबंध में मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से विचार विमर्श किया गया तो परिवादी ने बताया कि "पटवारी द्वारा अब मुझसे इंतकाल चढाने के कार्य के संबंध में रिश्वत प्राप्त करने की संभावना नगण्य लग रही है।" मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को दिनांक 16.07.2024 की पटवारी के साथ संपन्न रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने की कार्यवाही हेतु ए.सी.बी चौकी बीकानेर उपस्थित होने के लिए निर्देश दिए गए तो परिवादी बताया कि मैं दिनांक 23.07.2024 तक ए.सी.बी चौकी बीकानेर पर उपस्थित होकर ट्रांसक्रिप्ट कार्यवाही करवा दूंगा और इस मामले में आगे की कार्यवाही की संभावना के बारे में अवगत करवा दूंगा। दिनांक 23.07.2024 को समय 12.15 पी.एम. पर परिवादी श्री गोविंदराम ट्रांसक्रिप्ट कार्यवाही हेतु मुझ पुलिस निरीक्षक के कक्ष में उपस्थित हुआ। जिसे ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित रहने के निर्देश प्रदान किए गए। मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा ट्रैप कार्यवाही प्रक्रिया में शामिल रहे

पूर्व से पाबंदशुदा स्वतंत्र साक्षी श्री विपिन व्यास-अति. प्राशासनिक अधिकारी, कार्यालय वित्तीय सलाहकार, सिंचित क्षेत्र विकास, बीकानेर के मोबाइल नंबर [redacted] पर समय 12.20 पी.एम. पर वार्ता की जाकर अन्य साक्षी श्री रघुवीर सिंह- वरिष्ठ सहायक, कार्यालय वित्तीय सलाहकार, सिंचित क्षेत्र विकास, बीकानेर सहित गोपनीय ट्रांसक्रिप्ट कार्यवाही हेतु ए.सी.बी. चौकी बीकानेर पर पहुंचने के निर्देश दिए गए। समय 01.25 पी.एम. पर कार्यालय वित्तीय सलाहकार, सिंचित क्षेत्र विकास, बीकानेर से अधिकारी/कर्मचारीगण श्री विपिन व्यास, अति. प्राशासनिक अधिकारी तथा श्री रघुवीर सिंह वरिष्ठ सहायक ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित हुए हैं। उपस्थित दोनों अधिकारीगण/कर्मचारीगण को परिवादी श्री गोविंदराम से मिलवाया जाकर दिनांक 15.07.2024 के बाद परिवादी व आरोपी के मध्य संपन्न दिनांक 16.07.2024 की गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही तथा अब तक आए अन्य तथ्यों के बारे में जानकारी प्रदान की गई। श्री हरीराम कानि. को अपने कक्ष में आगामी कार्यवाही हेतु तलब किया गया। परिवादी श्री गोविंदराम ने मुझ पुलिस निरीक्षक को कार्यवाही पूर्ण होने तक हर स्तर की कार्यवाही की गोपनीयता बनाए रखने हेतु किए कथनों को पूर्व की भांति दोहराया तथा भविष्य में केसीसी लोन आदि संबंधी अन्य कार्यों में भी पटवारी से संपर्क होना बताया। परिवादी को कार्यवाही की पूर्ण गोपनीयता के संबंध में आश्वस्त किया गया। समय 01.30 पी.एम. पर उपस्थित स्वतंत्र साक्षिगण श्री विपिन व्यास, अति. प्राशासनिक अधिकारी तथा श्री रघुवीर सिंह वरिष्ठ सहायक की उपस्थिति में परिवादी श्री गोविंदराम द्वारा अपने इंतकाल चढाने संबंधी दस्तावेज "नामांतरकरण सं. 1316 दिनांक 21.07.2024 विरासत रामरख पुत्र चूनाराम के स्थान पर पप्पू सिंह पुत्र रामरख, बालीदेवी पत्नी रामरख, राजेंद्र पुत्र रामरख, हीरिराम पुत्र रामरख" की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि तथा एक प्रार्थना पत्र श्रीमान् अति. पुलिस अधीक्षक महोदय को संबोधित व आशयित "पटवारी द्वारा रिश्वत हेतु फिर से संपर्क करने की उम्मीद नहीं होने, पटवारी श्री राजपाल चौधरी के विरुद्ध कार्यवाही को आगे नहीं बढाने तथा अब तक हुई समस्त कार्यवाही के आधार पर पटवारी श्री राजपाल चौधरी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही हेतु" मुझ पुलिस निरीक्षक को प्रस्तुत किया है जिसका मुझ पुलिस निरीक्षक ने स्वयं अवलोकन किया तथा स्वतंत्र साक्षिगण को अवलोकन करवाया गया। मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से ट्रैप कार्यवाही की भविष्य में अन्य संभावनाएं पूछने पर परिवादी ने बताया कि "पटवारी ने मुझे दो बार अपने गांव बुला लिया है और 500 रुपये रिश्वत भी ले ली है तथा हमारा इंतकाल चढाने का काम भी कर दिया है, रिश्वत काफी छोटी है, इससे पहले मैं पटवारी को इधर उधर से काम की सिफारिश के तौर फोन भी करवा चुका हूं इसलिए पटवारी श्री राजपाल चौधरी द्वारा मुझसे इतनी छोटी रिश्वत के लिए दुबारा संपर्क करने की संभावना अब नहीं है। इसलिए मैंने अब तक की कार्यवाही के आधार पर ही पटवारी श्री राजपाल चौधरी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने हेतु प्रार्थना आज आपको प्रस्तुत किया है।" मुझ पुलिस निरीक्षक ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र तथा नामांतरकरण सं. 1316 दिनांक 21.07.2024 विरासत की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि को श्रीमान् अति. पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रस्तुत किया गया। श्रीमान् अति. पुलिस अधीक्षक ने प्रार्थना पत्र आदि के आधार पर अग्रिम कार्यवाही हेतु मुझ पुलिस निरीक्षक को निर्देशित किया। समय 01.45 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाह श्री विपिन व्यास, अति. प्राशासनिक अधिकारी, श्री रघुवीर सिंह वरिष्ठ सहायक तथा परिवादी श्री गोविंदराम व श्री हरीराम कानि. के समक्ष मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा अपने कक्ष की आलमारी से कार्यवाही में प्रयुक्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय स्थापित मेमोरी कार्ड तथा पीतल सील सं. 76 को निकाला गया। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय स्थापित मेमोरी कार्ड को कार्यालय लैपटॉप में कनैक्ट किया जाकर दिनांक 16.07.2024 की परिवादी श्री गोविंदराम व आरोपी पटवारी श्री राजपाल चौधरी के मध्य संपन्न रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता संबंधी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनवाई जाकर श्री हरीराम कानि. की सहायता तथा परिवादी गोविंदराम से आवाज पहचान करवाई जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जानी प्रारंभ की गई। समय 04.30 पी.एम. तक मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन संबंधी दिनांक 16.07.2024 की ऑडियो रिकॉर्डिंग को स्वतंत्र गवाहों को सुनवाई जाकर, परिवादी श्री गोविंदराम से आवाज पहचान करवाई जाकर, श्री हरीराम कानि. की सहायता से सुन-सुनकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। आरोपी द्वारा काफी सतर्कता रखते हुए धीमी-धीमी आवाज में परिवादी से रिश्वत संबंधी वार्ता की जानी पाई गई, जिसे परिवादी व स्वतंत्र साक्षिगण की सहायता से ध्यानपूर्वक बार-बार धीमी व तेज गति में सुना जाकर ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। रिकॉर्ड उक्त वार्ता की फाईल को दो पैन ड्राइव में कॉपी कर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा साक्ष्य स्वरुप दो पैन ड्राईव तैयार किये गये। एक पैन ड्राईव को एक प्लास्टिक सेफ्टी कवर में डालकर एक कपड़े की थैली में रखकर सील मोहर किया गया। दूसरे पैन ड्राईव को एक कपड़े के टैग के साथ सील किया जाकर अन्वेषण प्रायोजनार्थ खुला रखा गया। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को लैपटॉप से अलग किया जाकर स्थापित मैमोरी कार्ड को बाहर निकालकर मूल मेमोरी कार्ड को प्लास्टिक सेफ्टी कवर मे डालकर एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर सील किया गया। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर तथा आज तैयार हुए उपर्युक्त साक्ष्य प्रादर्श संख्या कुल 3 मालखाना प्रभारी श्री राजेंद्र हैड कानि. को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाए गए। दिनांक 13.07.2024 को रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्ट दिनांक 15.07.2024 को तैयार की गई थी तथा दिनांक 16.07.2024 को रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट दिनांक 23.07.2024 को तैयार की गई। उक्त दोनों तैयार की गई ट्रांसक्रिप्टों में वार्ता का हिंदी रुपांतरण श्री हरीराम कानि. 210 की सहायता से मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा किया गया है। समय 04.45 पी.एम. पर अब तक की कार्यवाही में प्रयुक्त पीतल की सील नबर 76 की नमूना फर्द पृथक् से तैयार की गई।

समय 05.00 पी.एम. पर अब तक की कार्यवाही में प्रयुक्त पीतल की सील नबर 76 को तोड़कर अनुपयोगी कर नष्ट किया गया। फर्द नष्टीकरण पीतल की सील पृथक् से तैयार की गई। संपूर्ण कार्यवाही पश्चात् परिवादी श्री गोविंदराम तथा उपस्थित स्वतंत्र साक्षिगण को श्री राजपाल चौधरी पटवारी के विरुद्ध जारी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम संबंधी कार्यवाही संबंधी प्रक्रिया की जानकारी प्रदान की जाकर आगामी भविष्य में भी इस कार्यवाही की गोपनीयता का पूर्ण पालन करने के विशेष निर्देश दिए गए। समय 05.40 पी.एम. पर परिवादी श्री गोविंदराम तथा उपस्थित स्वतंत्र साक्षिगण श्री विपिन व्यास, अति. प्राशासनिक अधिकारी तथा श्री रघुवीर सिंह वरिष्ठ सहायक को ए.सी.बी चौकी बीकानेर से प्रस्थान की अनुमति प्रदान की गई। इस प्रकार अब तक की संपूर्ण कार्यवाही के दौरान पाया गया कि श्री गोविंदराम पुत्र हरीराम जाति जाट, उम्र 19 वर्ष निवासी गांव करेजड़ा, तहसील सुजानगढ, जिला चूरु ने दिनांक 13.07.2024 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चौकी बीकानेर पर उपस्थित होकर मुझ पुलिस निरीक्षक को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा आरोपी लोकसेवक पटवारी श्री राजपाल चौधरी, पटवार हलका भाषीणा, तहसील सुजानगढ, जिला चूरु (मोबाइल नंबर [redacted]) द्वारा परिवादी श्री गोविंदराम के दादाजी स्वर्गीय श्री रामरख राम पुत्र चूनाराम जाति जाट, निवासी गांव करेजड़ा, तहसील सुजानगढ, जिला चूरु के नाम की लगभग 34 बीघा कृषि भूमि का विरासतन इंतकाल उनके चार वारिसों परिवादी के पिताजी श्री हरीराम, परिवादी के ताउजी पप्पू सिंह, परिवादी के चाचाजी राजेंद्र, परिवादी की दादीजी बालीदेवी के नाम चढाने के लिए परिवादी से 1500 रुपये की रिश्वत की मांग करने के तथ्यों से अवगत करवाया। परिवादी से प्राप्त प्रार्थना पत्र व अन्य प्रकट तथ्यों के आधार पर परिवादी श्री गोविंदराम को दिनांक 13.07.2024 तथा 16.07.2024 को पटवारी के निवास स्थान सह कार्यस्थल गांव कानूता, तहसील सुजानगढ, जिला चूरु भेजकर आरोपी पटवारी श्री राजपाल चौधरी द्वारा परिवादी से मांगी जा रही रिश्वत के संबंध में रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही करवाई गई। दिनांक 13.07.2024 को परिवादी श्री गोविंदराम व आरोपी पटवारी श्री राजपाल के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता में आरोपी द्वारा परिवादी से "ल्यायो काईं फीस पानड़ा " कहकर रिश्वत मांगी गई जिस पर परिवादी ने फीस (रिश्वत) के बारे में आरोपी से पूछा तो आरोपी ने "हजार अबार ही दे द्यो" कहा, जिसके उत्तर में परिवादी ने 500 रुपये ही लेकर आना बताया तो आरोपी ने "तू एकर पांच सौ (500) ही दे दे मने" कहते हुए परिवादी से 500 रुपये रिश्वत प्राप्त कर लिए तथा परिवादी के द्वारा पटवारी से और रिश्वत का पूछने पर "कीं कोनी देणा", "आगे कणां ही देखां" "जणा दो हजार गो कियो तने" "बीस तारीख रो काम हूजी" आदि बातें कही। वार्ता के दौरान पटवारी ने परिवादी को दिनांक 20.07.2024 तक काम हो जाने तथा 21.07.2024 को ऑनलाईन दिखा देने का आश्वासन दिया। दिनांक 16.07.2024 को आरोपी पटवारी द्वारा परिवादी से उसके विरासतन इंतकाल संबंधी कार्य को प्रारंभ करते हुए परिवादी के मोबाइल पर भेजा गया ओ.टी.पी. जरिये मोबाइल कॉल मांगा गया तथा परिवादी को अपने गांव शाम को बुलाया गया। इस पर दिनांक 16.07.2024 को परिवादी श्री गोविंदराम व आरोपी पटवारी श्री राजपाल के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता में परिवादी ने पटवारी से बुलाए जाने के संबंध में पूछा तो पटवारी ने "बो कीं लारलो कीं करो जना" कहते हुए बीस तक काम हो जाने संबंधी बात कही, पटवारी ने उक्त वार्ता के दौरान परिवादी से ओ.टी.पी. लिए जाने का विमर्श करते हुए "लारे बचेड़ो है जको पेमेंटयो दे दे" कहा तथा पूर्व में प्राप्त की हुई रिश्वत राशि 500 रुपये के बारे में "बीं दिन पांच सौ (500) लिया" कहकर परिवादी से बातें की। परिवादी के द्वारा कब लाने हैं कहकर पटवारी से पूछा गया तो पटवारी द्वारा "अभी दे दे, जना दे" कहा गया, परिवादी के पास तत्काल रुपये न होने का पता चलने पर आरोपी पटवारी ने वार्ता के अंत में परिवादी को जाने कह दिया तथा कभी परिवादी के गांव करेजड़ा आने पर देखने की बात कही। तत्पश्चात् परिवादी द्वारा मुझ पुलिस निरीक्षक को आरोपी पटवारी द्वारा दिनांक 21.07.2024 को इंतकाल का काम कर दिए जाना अवगत करवाया। परिवादी द्वारा पटवारी की ओर से रिश्वत हेतु फिर से संपर्क करने की उम्मीद नहीं होने संबंधी एक प्रार्थना पत्र दिनांक 23.07.2024 को ए.सी.बी चौकी बीकानेर पर दिया गया तथा अब तक हुई समस्त कार्यवाही के आधार पर आरोपी पटवारी श्री राजपाल चौधरी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही चाही गई। परिवादी व आरोपी के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओं के दौरान आरोपी पटवारी द्वारा परिवादी से 500 रुपये प्राप्त कर लेने के पश्चात् परिवादी के इंतकाल संबंधी कार्य की प्रक्रिया प्रारंभ करते हुए परिवादी से ओ.टी.पी. प्राप्त किया गया। सत्यापन वार्ताओं में दिए गए आश्वासन के अनुसार पटवारी द्वारा दिनांक 21.07.2024 को परिवादी के लंबित कार्य इंतकाल दर्ज करने की कार्यवाही पूर्ण की गई। इस प्रकार रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही के दौरान परिवादी का इंतकाल संबंधी कार्य आरोपी पटवारी के पास लंबित होना पाया गया। आरोपी पटवारी द्वारा वार्ताओं के दौरान शेष रिश्वत राशि के संबंध में अस्पष्टता रखी गई। रिकॉर्ड वार्ताओं, परिवादी के प्रार्थना पत्र दिनांक 23.07.2024 तथा संपूर्ण कार्यवाही से अब तक प्राप्त तथ्यों के आधार पर आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत प्राप्त करने की संभावना नहीं होनी पाई गई। उपर्युक्त कार्यवाही के दौरान परिवादी श्री गोविंदराम द्वारा अपने परिजनों की ओर से जारी अधिकार पत्र प्रस्तुत किया, अपने दादाजी श्री रामरख राम की भूमि संबंधी दस्तावेज तथा इंतकाल/नामांतरकरण दर्ज हो जाने संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किए जिसे कार्यवाही अभिलेखों में सम्मिलित किया गया। इस प्रकार आरोपी श्री राजपाल सेरड़िया-व० पटवारी, पटवार मण्डल-भाषीणा, तहसील सुजानगढ़, जिला चूरू का उपर्युक्त कृत्य अपराध अंतर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन वर्ष 2018) के तहत प्रथम दृष्टया घटित होना पाया गया। अतः उक्त आरोपी श्री राजपाल सेरड़िया पुत्र टिकुराम, उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम पो० कानूता, तहसील

सुजानगढ़, जिला चूरू वर्तमान पदस्थापन- व० पटवारी, पटवार मण्डल-भाषीणा, तहसील सुजानगढ़, जिला चूरू के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नंबरी एफआईआर पंजीयन एवं क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राज. जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है। (आनन्द मिश्रा) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बीकानेर..........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री आनन्द मिश्रा, पुलिस निरीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो, बीकानेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री राजपाल सेरड़िया पुत्र टिकुराम, उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम पो० कानूता, तहसील सुजानगढ़, जिला चूरू वर्तमान पदस्थापन- व० पटवारी, पटवार मण्डल-भाषीणा, तहसील सुजानगढ़, जिला चूरू के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री महेश श्रीमाली, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 309 पर अंकित है। (महावीर सिंह राणावत) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1115-1118 दिनांक 20-09-2024 प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बीकानेर। 2-जिला कलक्टर, चूरू। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर। 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** MAHESH SRIMALI **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Mahaveer Singh Ranawat
Location: Rajasthan,IN
Date: 2[illegible]/2024 [illegible]

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): MAHAVEER SINGH
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	01/05/1986				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (श्वेत रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)